कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर

Ph.No.:- (O)07836-232227, (R)232230, (F)233564 EMail:- dfo.korea_bkp@yahoo.co.in

क्रमांक/तक.क./3860 बैकुण्ठपुर, दिनांक 31/07/2024

प्रति,

अमन कुमार सिंह
असिस्टेंट वॉइज प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स)
जियो डिज़ीटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड,
रायपुर (छ0ग0)

विषय :- **Diversion of forest land for non forest purpose under Forest Conservation Act 1980 proposed for Jio Digital fiber private Ltd Raipur Laying Optical Fiber line in Korea Forest Division under Chhattisgarh State area 3.309 ha.**

सन्दर्भ :-
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध/2637 नवा रायपुर, दिनॉक 20.06.2024
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध–1ए/115–908ए/10 दिनॉक 03.01.2023
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.स.अ) छत्तीसगढ़, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक भू–प्रबंध/विविध–ए/115–933/633 नवा रायपुर दिनॉक 01.03.2024

विषयान्तर्गत अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छ0ग0, नवा रायपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक 1 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसकी प्रति आपको भी पृष्ठांकित है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छ0ग0 नवा रायपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक 2 के परिपालन में पूर्व में गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान के 10 कि.मी. की परीधि में आरक्षित वन 0.468 हे. एवं संरक्षित वन 0.727 हे. कुल 1.195 हे. क्षेत्र के लिए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत प्राप्त करने हेतु निर्देश दिया गया था।

उक्त के परिपेक्ष्य में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के संदर्भित पत्र क्रमांक 1 द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि, इस प्रकरण में छत्तीसगढ़ राज्य, वन्य जीव बोर्ड के गठन न होने के फलस्वरूप अध्यक्ष महोदय के समन्वय से छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक 1820 दिनॉक 22.05.2024 से अनुमोदित किया गया है। विषयांकित प्रकरण के परिपेक्ष्य अनुमति प्राप्त करने हेतु छ.ग. राज्य वन्यजीव बोर्ड से निर्धारित प्रपत्र 1 से 3 में जानकारी पूर्ण कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है। निर्देशन के परिपालन में आपके विभाग से संबंधित जानकारी यथाशीघ्र उक्त प्रपत्र में पूर्ण कर इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छ0ग0 नवा रायपुर के संदर्भित पत्र क्रमांक 3 द्वारा यह निर्देश गया है कि , भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनॉक 19.12.2023 द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार ऑप्टिकल फायबर केबल बिछान के 1.000 हे0 से अधिक के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति वृक्षरोपण का कार्य गैर वन भूमि किया जाना है।

अतः इस गाईड लाईन के परिपालन में गैर वन भूमि एवं डी.जी.पी.एस. सर्वे रिर्पोट की प्रति सहित जानकारी इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें, ताकि 10 वर्षीय सिंचित परियोजना तैयार कर वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जा सके।

वनमण्डलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल बैकुण्ठपुर

पृष्ठां. क्रमांक/तक.क./3861 बैकुण्ठपुर, दिनांक 31/07/2024

प्रतिलिपि :-
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) छ0ग0, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छ0ग0, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल बैकुण्ठपुर

o/c